न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमानंम्बरः– 07 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दलाराम पुत्र धर्माजी जाति कलबी निवासी केसुरी तहसील चितलवाना जिला सांचौर		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955</u>

उपस्थितः:–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी।
2. अप्रार्थीगण की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक 11-01-2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा केसुरी पटवार हल्का केसुरी के खसरा संख्या 2355 रकबा 0.93 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है जो प्रार्थी के बन्ट व कब्जा काश्तसुदा है उक्त खेत मे प्रार्थी के आने–जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि प्रार्थी के उपयोग के लिए राजस्व रेकर्ड मे नही है। प्रार्थी के इस खेत मे आवागमन हेतु नये मार्ग की आवश्यकता है। उक्त रास्ता भूमि हेतु मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पा रहा है। उक्त खेत मे आवागमन हेतु रास्ते की प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता है। अतः रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेख मे रास्ता अभिलिखित किया जाना न्याय संगत है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के उक्त खेत ग्राम केसूरी मे होने से प्रार्थी के खेत मे जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा केसूरी के खसरा संख्या 2348 रकबा 0.33 हैक्टर बारानी दोयम मे से धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार रास्ता दिलाया जावे। ये ही खसरा 2348 प्रार्थी के खातेदारी खेत व रास्ते के बिच मे पड़ता है, लेकिन उक्त आराजी अप्रार्थी के नाम खेत व रास्ते के बिच मे पड़ता है। लेकिन उक्त आराजी अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। ऐसी सुरत मे प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2355 सरहद मौजा केसूरी मे आवागमन के लिए ग्राम केसुरी मे स्थित खसरा संख्या 2348 नक्शा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित लाल रंग ए से बी भाग का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

हिस्सा जो निकटतम व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के प्रावधानो के अनुरूप है। इसलिए इस खसरा संख्या 2348 की भूमि रास्ते के उपयोग के लिए रास्ते की भूमि घोषित करने के लिए प्रार्थी प्रार्थना करता है। प्रार्थी के खेत मे आवागमन का कोई रास्ता प्रस्तावित रास्ते के अलावा नही है। अतः केसुरी के खसरा संख्या 2348 रकबा 033 हैक्टर बारानी दोयम रास्ता नक्शा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित ए से बी प्रस्तावित रास्ता लाल रंग का हिस्सा 5 मीटर चौड़ा प्रार्थी के रास्ता प्रयोजनार्थ अत्यन्त आवश्यकता है व आवागमन उपयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2355 मे आवागमन हेतु कोई रास्ते की भूमि कटान रास्ते से आवेदक के खेत तक पहुचने का रास्ता नही है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मे दिये गये परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) क्रमांक प3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 की अनुपालना मे पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त मौजा केसूरी के खसरा संख्या 2348 रकबा 0.33 हैक्टर बारानी दोयम रास्ता परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित ए से बी प्रस्तावित रास्ता लाल रंग का हिस्सा 5 मीटर चौड़ा दिया जाकर रास्ते की भूमि प्रार्थी के समाविष्ट करने वाली इस भूमि के संबंध मे अभिधृति निर्वापित की जाकर रास्ता उपयोग के रूप मे अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम केसुरी पटवार हल्का केसुरी तहसील चितलवाना मे प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 2355 रकबा 0.93 हैक्टर के लिए सरकारी खसरा संख्या 2348 मे रास्ता चाहा गया है, यदि प्रार्थी को मात्र सुविधा के लिए रास्ता दिया जाना उचित नही है यदि खातेदारी खेत के रास्ता का अभाव व अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही डी.एल.सी. दर की दूगनी राशी के बाद सरकारी भूमि से रास्ता दिया जाये। एवं प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 2355 के लिए कदमी रास्ता खसरा संख्या 2348 मे से है। जिसका रकबा 0.015 हैक्टर का रास्ता डी.एल.सी दर की दुगनी राशी के बदले दिया जाता है तो कोई आपत्ती नही है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोक[illegible]। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में खेत खसरा [illegible] 0.93 हैक्टर भमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है त[illegible] 2074 से 2077 में खेत खसरा संख्या 2348 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि कि[illegible] बारानी दोयम राज्य सरकार के खाते में दर्ज है जिसमें में प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है दोनो उक्त खसरा मौके पर खाली है तथा किसी प्रकार का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-जालोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्माण आदि नही है चाहे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा खेत मे जाने हेतु निकटतम रास्ता मौजुद नही है। प्रस्तावित पर वर्तमान मे आवागमन चालू है। जो मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केसूरी पटवार हल्का केसुरी के खसरा संख्या 2348 रकबा 0.33 हैक्टर मे से 0.015 हैक्टर भूमि का रास्ता प्रार्थी के प्रस्ताव अनुसार व संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु संख्या 'ए' से 'बी' अनुसार उक्त रास्ता भूमि को समाविष्ट करने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित मानते हुए राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ता भूमि के प्रार्थी को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नही रहेगें। तथा अप्रार्थी उक्त रास्ता स्थान की भूमि पर किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करे व न करावें। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जरिये डी.डी. के नियमानुसार भुगतान करे। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो, पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(हनुमाना राम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर(राज.)

निर्णय आज दिनांक 11-01-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:33 IST
Reason: SelfAttested